अविनाश मुकुन्द गुप्ता
महाप्रबंधक(एस आर)

भारत संचार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
BHARAT SANCHAR NIGAM LTD.
(A Government of India Enterprises)

अपील

पिछले महीने दो अवसरों पर बीएसएनएल के कुछ यूनियनों और एसोशिएशनों द्वारा विभिन्न कार्यालय परिसरों में प्रदर्शन के ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं जिनमें प्रशासन को इसकी पूर्व सूचना (prescribed notice) नहीं दी गई थी तथा उपरोक्त गतिविधियां माननीय पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली के, कार्यालय परिसर में इस तरह की गतिविधियों को रोकने से संबन्धित, आदेश के बावजूद बीएसएनएल परिसर में की गई थी । इसकी पूर्व सूचना देना अत्यंत आवश्यक होता है ताकि उचित सुरक्षा व्यवस्था से संबन्धित आवश्यक कदम लिए जा सकें। कभी कभी शांति पूर्ण प्रदर्शन भी उग्र रूप ले लेता है जिससे कर्मचारियों या आगंतुकों को असुविधा पहुँच सकती है। जैसे कि हाल हीं में 02-अगस्त-2017 को परिमंडल प्रमुख व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अप्रिय घटना घटित हुई थी। कर्मचारियों और विशेषतः उच्च अधिकारियों द्वारा इस प्रकार का व्यवहार अशोभनीय व अवांछनीय है, खासतौर पर जिनके ऊपर ही ऐसे समय में अनुशासन बनाए रखने की ज़िम्मेदारी होती है। ऐसी गतिविधियों से कार्यालय के कामकाज पर बुरा असर पड़ता है और साथ हीं इससे कंपनी की साख भी बिगड़ती है। प्रदर्शन के दौरान शान्ति या अनुशासन बना रहे, ऐसा कई बार संभव नहीं होता है।

यहाँ यह भी समझना आवश्यक है कि अगर ज्यादा लोग मिलकर कोई गैरकानूनी कार्य करते है तो वह वैध नहीं हो जाता है। इस संदर्भ में यह पुनः उल्लेखित किया जाता है कि औद्यौगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत प्रबंधन और श्रमिकों के विवादों के निपटारे के लिए व्यवस्था के अनुसार समझौता अधिकारी के समक्ष प्रक्रिया चल रही है। जिसके चलते कोई भी व्यक्ति हड़ताल में भाग नहीं ले सकता है व ऐसी हड़ताल गैरकानूनी होती है। इन निषेधात्मक प्रावधानों से सभी को पूर्व में कई बार अवगत कराया जा चुका है। यह बार-बार बताया गया है कि हमारे अधिकारीगण(Executives) श्रमिकों की श्रेणी में नहीं आते हैं । अतः उनके द्वारा हड़ताल जैसी गतिविधियां किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है ।

इस तरह की कोई भी गतिविधि, जो यूनियनों व एसोशिएशनों को शांतिपूर्ण तरीके से कार्यालयीन समय को छोड़कर व परिसर के बाहर करना हो, मना नहीं किया गया हैं । लेकिन इसके लिए भी पूर्व सूचना जरूरी होती है। हमलोग भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम के अधिकारी एवं कर्मचारी हैं, जो कि लोकसेवक की श्रेणी में आते है, साथ ही बीएसएनएल जनउपयोगी दूर संचार सेवाएं प्रदान करता है । दूर संचार सेवाओं के महत्व को देखते हुए इसे अत्यावश्यक सेवाओं की श्रेणी में रखा है। अतः हमारे ऊपर एक महत्वपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्व व राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है।

सभी यूनियनों व एसोशिएशनों को सलाह दी जाती है कि भविष्य में किसी तरह की गतिविधियों के लिए निर्धारित नियमानुसार सूचना दें, साथ ही यह सुनिश्चित करें कि इस तरह की कोई भी गतिविधि कार्यालयीन समय में और बीएसएनएल कार्यालय परिसरों में न हो । अपने सम्माननीय ग्राहकों को बेहतर सेवा दें तथा कंपनी की छवि को बनाए रखने को प्रयासरत रहे।

(अविनाश मुकुन्द गुप्ता)
01.09.2017